No.06/02/2022-CS.I(P)-Part 1
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(CS.I Division)

2nd Floor, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi, 110003.
Dated the 9th November, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Publishing of the Notification on Rules for SO/Stenographer's Limited Departmental Competitive Examination, 2018 in the Gazette of India- reg.

The undersigned is directed to forward herewith copies of each of the Hindi and English version of the Notification dated 9th November, 2022 regarding Rules for Section Officer/Stenographer's Limited Departmental Competitive Examination, 2018.

It is requested that necessary arrangement may please be made for publishing the said notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3 Sub-section (i).

(George D. Toppo)
Under Secretary to Government of India

To,

Government of India Press
J4PH+394, Ring Road,
Mayapuri, New Delhi, Delhi 110064

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2022

RULES

No.6/2/2022-CS.I(P) Part-1 The rules for the Combined **Section Officers'**/Stenographers' (Grade B'/ Grade- 'I') Limited Departmental Competitive Examination for the **year** 2018, to be held by the Union Public Service Commission, for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers' (Grade 'B'/Grade-I) of the Services mentioned below are, with the concurrence of the Ministries concerned, published for general information.

Category I
Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service.

Category II
Section Officer Grade of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'

Category III
Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service

Category IV
Private Secretary Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service.

Category V
Private Secretary Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'

Category VI

Grade 'A' & 'B' merged of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.

Category VII
Grade 'B' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.

Category VIII
Section Officers' Grade of the Intelligence Bureau.

Category IX
Private Secretary Grade in Employees' State Insurance Corporation

Category X
Section Officers in Armed Forces Headquarters Civil Service

Category XI
Assistant Director/Section Officers/Manager Gr.I in Employees' State Insurance Corporation

1. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List for each grade/service will be specified in the Notice issued by the Commission. Final Selection of the candidates under different categories shall be decided and results declared based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide O.M. No. 36012/2016/2019-Estt (Res.) dated 12.04.2022 subject to the final outcome of the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP (C) NO. 30621/2011. In respect of category III (i.e. Section Officers' Grade of RBSS), the Seniority list of ASO grade is under challenge. The result of Category-III for the year 2018 would be provisional, subject to the outcome of pending court cases (O.A.s No.114/2022), before the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, and revision of seniority list of Assistant Section Officers (ASO's) Grade of RBSS, if any.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix to these Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Permanent or regularly appointed temporary Officers of the Grade and Services mentioned in column 1 below who on the crucial date for eligibility (as mentioned below) satisfy the conditions regarding length of service and educational qualification etc. mentioned in column 2 shall be eligible to appear at the examination for the category of service mentioned in column 3.

Crucial dates for eligibility

1st July, 2018 for 2018 Examination

Column 1	Column 2	Column 3
Assistant Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service and Personal Assistants' Grade (Stenographers Grade C) of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 5 years' approved Service and shall also have earned at least four Annual Performance Appraisal Reports in the Assistant Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service or Personal Assistants' grade of the Central Secretariat Stenographers' Service. Personal Assistants of CSSS shall possess a Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent. As a one-time dispensation, all the SSAs of SL 2003 (extended) possessing the requisite Four Annual Performance Appraisal Reports (in SSA/ASO Grade) are also eligible to appear in the examination subject to submission of the undertaking as per the Annexure-V.	**Category I**
Assistant Grade of the General Cadre, Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre and Cypher Assistant Grade of the Cypher	Not less than 5 years approved service and shall also have earned at least 4 Annual Performance Appraisal Reports in the Assistant Grade of the General Cadre/Cypher Assistant Grade of the Cypher Cadre/Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre. Further,	**Category II**

sub-cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B'	candidates should possess a Bachelors degree from a recognized University and should have completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.	
Assistant Section Officers' Grade of Railway Board Secretariat Service and Grade C/ Personal Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	Not less than 5 years' approved and continuous Service in the Assistant Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or in Grade II / Grade C/Personal Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service or in both as the case may be.	**Category III**
Personal Assistant of the Central Secretariat Stenographers' Service	Not less than 3 years' approved and continuous service in Personal Assistants' Grade of the Central Secretariat Stenographers' Service and shall possess a Bachelor's Degree from a recognized University. .	**Category IV**
Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B'	Not less than 5 years approved service in the Personal Assistant Grade of the Stenographers' Cadre and shall possess a Bachelor Degree of a recognized University. Further, candidates should have completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.	**Category V**
Grade C of Armed Forces Headquarters Stenographer's service	Not less than 3 years' approved and continuous service in Grade II/Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	**Category VI**
Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographer' Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in Grade II/ Grade C of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service.	**Category VII**
Assistant Grade of IB/ Stenographers' Service Grade II of IB	Permanent or regularly appointed temporary Assistant /Stenographers Grade-II (Personal Assistants) of the Intelligence Bureau with not less than 4 years of approved and continuous service in the case of officers appointed in the grades on the basis of Competitive Examination or Limited Departmental Competitive Examination as the case may be, provided that the examination should have been held not less than five years before the 1st July of the year in which the Section Officers Limited Departmental Competitive Examination is held, or not	**Category VIII**

	less than five years of approved and continuous service, in the case of officers appointed in the grades on the basis of seniority in their respective feeder grades on 1st July of the year in which Section Officers grade Limited Departmental Competitive Examination is held, will be eligible to appear in the examination.	
Personal Assistants in Employees' State Insurance Corporation	Not less than 3 years' approved and continuous service in Personal Assistants Grade in Employees' State Insurance Corporation	**Category IX**
Assistant Section Officer in AFHQ Civil Service	Not less than 5 years' approved and continuous service in the Assistant Section Officer grade of the Armed Forces Headquarters Service.	**Category X**
Employees in the grade of Social Security Officer/Manager Grade-II/Superintendent	The employees in the grade of Social Security Officer/Manager Grade-II/Superintendent with two years regular service in pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600/- .	**Category XI**

Provided that in the case of a candidate (except a candidate appearing for Category I, Category II, Category IV, Category V who had been appointed to the Grades mentioned in column 1 above on the result of a Competitive Examination, including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 5 years before the crucial date and he/she should have rendered not less than 4 years approved and continuous service in that grade on the crucial date.

Provided that in the case of a candidate appearing for Categories IV and IX examination who had been appointed to the Grade mentioned in column 1 above on the result of a Competitive Examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than 3 years before the crucial date and he/she should have rendered not less than 2 years approved and continuous service in that grade on the crucial date.

Note 1 - Permanent or regularly appointed officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who are on deputation to ex-cadre posts for a specified period with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible and the service rendered by them during the period of deputation will qualify towards the length of service mentioned in column 2.

This however does not apply to the officers of the Grades and Services mentioned in Column 1 above who have been appointed to ex-cadre posts or to another Service on "transfer" (whether they have a lien or not) in their respective Grades and Services referred to in Column 1.

Note 2 - Assistant Section Officers of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who have opted for appointment to the Indian Foreign Service, Branch'B' and have been appointed to any Grade of that Service in pursuance of such option shall not be eligible for admission to the examination for Categories I and IV.

Note 3 - Assistant Section Officers of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination for Categories II and V.

Note 4 – In respect of Category-I, the provision of 5 years' approved service in the case of the SSAs of SL 2003 (Extended List) possessing the requisite 4 APARs (in SSA/ASO grade) are relaxed for appearing in the examination subject to submission of the undertaking as per the Annexure-V. The relaxations are further subject to following conditions;

i. Appearing in the examination shall not confer any right on the candidates to consider his/her eligibility/selection in the examination till finalization of Common Seniority List of SSA Grade for SL-2003 (Extended) and subsequently the Select list of ASO Grade for 2013 onwards based on the final decision on the pending WPs and also on any other court case filed subsequently after final disposal of the WP by Delhi High Court.

ii. Final results of the examination(s) conducted by UPSC shall be declared subject to determination of final eligibility to appear in the examination after finalization of the select list of ASOs for 2013, which will be finalized after the outcome of the decision on the pending WPs.

iii. That after the final outcome on the pending WPs the Select List of ASO Grade for 2013 under seniority quota will be prepared and accordingly the officials who would have figured in the ASO SL-2013 and qualified SO/PS LDCE for 2018, their selection would be considered as valid.

iv. That the declaration of the results of the SO/PS LDCE for 2018 are also subject to final outcome of the SLP No. 30621/2011 and 31288/2017 pending before the Hon'ble Supreme Court of India regarding 'reservation in promotion' and own merit case'.

4. A candidate, who is eligible to compete for two categories and who exercises this option, should specify clearly in the Application the categories for which he/she is eligible and wishes to be considered in the order of preference. No request for any change/addition/ alteration in the preference already indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission. Candidates may also take care to choose Category No. correctly, as corrections/ incorrect combination will not be considered/allowed and may lead to summary rejection of the candidature. It may also be noted that a candidate will not be considered for any category that he/she has not specifically chosen in the application form.

5. The decision of the Commission with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:-

i. Obtaining support for his candidature by the following means, namely:-

a. Offering illegal gratification to; or
b. Applying pressure on; or
c. Blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination; or

ii. impersonation, or
iii. procuring impersonation by any person, or
iv. submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or
v. uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/signature.
vi. making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
vii. resorting to the following means in connection with his candidature for the examination, namely:-

a. obtaining copy of question paper through improper means;
b. finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination;
c. influence the examiners; or

viii. being in possession of or using unfair means during examination, or
ix. writing obscene matter or drawing obscene sketches or irrelevant matter in the script(s), or
x. misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating a disorderly scene and the like; or
xi. harassing or doing bodily harm to the staff employed by the commission for the conduct of their examination, or
xii. being in possession of or using any mobile phone, (even in switched off mode) , pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
xiii. violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
xiv. attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses; may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :-

a. to be disqualified by the Commission from the Examination held under this Rules for which he/she is a candidate, and/or
b. to be debarred either permanently or for a specified period-
    i. by the Commission from any examination or selection held by them ;
    ii. by the Central Government from any employment under them; and

c. to disciplinary action under the appropriate rules. Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-
    i. giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf ; and
    ii. taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

7 .1 Any person who is found by the Commission to be guilty of colluding with a candidate(s) in committing or abetting the commission of any of the misdeeds listed at the clauses (i) to (xiii) above render himself liable to action in terms of the clause (xiv).

8. (i) After the examination, candidates shall be considered for vacancies for the year 2018, subject to their eligibility for the year and will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate subject to qualifying standards for each paper/part of the examination as decided by the Commission. However, the results for the Category I for the year 2018 shall be declared subject to the finalization of Assistant Section Officers (ASOs) SL (SQ) 2013 in due course.

Category wise merit lists for inclusion in the Select List will be based on the number of vacancies, candidate's merit and choice (preference of year and category, as eligible) as indicated by the **candidate** and fulfillment of all other eligibility conditions. The Commission reserves the right to fix minimum qualifying standards for any or all stage(s) or paper(s) of the Examination.

Where a candidate would have otherwise qualified on the basis of aggregate merit/marks in more than one category and/or year of consideration, his/her inclusion in a particular select list will depend on the category- year combination that becomes available based on the candidate's choice exercised at the relevant time. Therefore, based on his/her merit, and subject to vacancy position and other eligibility conditions, a candidate will be placed in the appropriate select list (category and year) factoring his/her preference. If a candidate's name is included in the select list for a particular category for a particular year, his/her name will not be considered for inclusion in other list(s).

Vacancies remaining unfilled in the year (2018) due to non-availability of suitable/qualified candidates, will be carried forward to the next Vacancy year for Category I, III, IV, VII, VIII and IX. This provision will not be applicable for Category VI and X. In case of candidates appearing for Category II & V, only vacancies reserved for SC/ST Category candidates remaining unfilled in the year 2018 due to non-availability of selected/qualified candidates will be carried forward to the next examination,

(ii) The final selection of the candidates including candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for inclusion in the Select List for each category will be decided based on the guidelines issued by the Department of Personnel & Training vide OM 36012/16/2019-Estt. (Res.) dated 12.04.2022 subject to the final outcome of the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP(C) No. 30621/2011.

Note: - Candidate should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in each Select List on the result of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this Examination as a matter of right.

9. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

10. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is eligible and suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

11. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment or otherwise quits the service or severs his connection with it or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Assistant Section Officers' Grades of the Central Secretariat Service/Railway Board Secretariat Service/AFHQ Civil Service/I.B./ or Stenographer Grade-C of the Central Secretariat Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Grade II of I.B Stenos Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service or any post in the Indian Foreign Service, Branch 'B' will not be eligible for appointment on the result of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

[F.No.06/02/2022-CS.I(P)-Part 1]

(RAJAT KUMAR)
Joint Secretary to the Government of India

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:-

Part I

(a) Written examination carrying maximum of 500 marks in the subjects as shown in para 2 below.

(b) A qualifying Shorthand test in Hindi or English at 100 w.p.m.

Note 1: All the candidates competing for Categories IV, V, VI, VII and IX will be required to take qualifying shorthand test at the time as may be decided by the Commission. However, evaluation of record of service will be done of only those candidates who qualify both in the written examination as well as in the Shorthand Test.

Note 2: Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on Computers (PCs) which will be provided at the Examination centre by the Commission.

Part II

Evaluation of record of service carrying a maximum of 100 marks of candidates:-

(i) who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion (for categories I, II, III and VIII); and

(ii) who obtain such minimum qualifying marks in the written examination and the shorthand test as may be fixed by the Commission in their discretion (for Categories IV, V, VI, VII and IX).

Note 1 : Marks obtained in evaluation of record of service (i.e. APARs of the officers available to the Assessment Board at the time of its meeting) will be counted for ranking. Once the APARs have been evaluated by the Assessment Boards, no request for its reassessment will be entertained under any circumstances including a change in APAR grading, etc. at a subsequent date.

Note 2 : There shall be a minimum of 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service. Therefore, such candidates who obtain less than 40% (forty percent) marks in the evaluation of record of service will not be considered for ranking.

2. The subjects, in which the candidates competing for different categories of services will be required to take the written examination, will be as follows:--

Paper No.	Subject	Type of Paper	Max. Marks	Duration
1	General Studies & General Knowledge of Constitution of India and Machinery of Government, Practice and Procedures in Parliament and Knowledge of RTI Act, 2005.	Objective	150	2 Hrs.
2	Procedure and Practice in the Govt. of India Secretariat and attached offices and General Financial and Service Rules duly taking into account the requirement of relevant categories of services.	Objective	150	2 Hrs.

3	Noting and Drafting, Precis writing	Subjective	200	3 Hrs.
	Evaluation of record of Service		100	
	Total Marks		**600**	

3. Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers)

THERE WILL BE PENALTY (NEGATIVE MARKING) FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

(i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one third of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

(ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.

(iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Syllabi for the Examination will be as shown in the schedule.

5. Candidates are allowed the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper either in Hindi (Devanagari) or in English. All the three question papers/test booklets will be set both in Hindi and English.

Note 1 : Candidates desirous of exercising the option to answer the Noting and Drafting, Precis Writing paper in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in relevant column of on-line Application Form; otherwise it would be assumed that they would answer the aforesaid paper in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in the said column shall be entertained.

Note 2 : Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

Note 3 : If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

6. The shorthand test in English/Hindi would comprise dictation test at the speed of 100 words per minute of ten minutes which the candidate will be required to transcribe in 40/55 minutes.

7. (i) Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them. The Persons with Benchmark Disabilities in the categories of blindness, locomotor disability (both arm affected – BA) and cerebral palsy will be provided the facility of scribe, if desired by the person. In case of other category of Persons with Benchmark Disabilities as defined under section 2 (r) of the RPWD Act, 2016, the facility of scribe will be allowed

to such candidates on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on behalf, from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Annexure-I.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be provided the facility of scribe subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write and that scribe is essential to write examination on his/her behalf from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure – III.

(ii) The candidates have discretion of opting for their own scribe or request the Commission for the same. The details of scribe i.e. whether own or the Commission's and the details of scribe in case candidates are bringing their own scribe, will be sought at the time of filling up the application form online as per proforma at Annexure-II (for candidates having 40% disability or more) and Annexure-IV (for candidates having less than 40% disability and having difficulty in writing).

(iii) The qualification of the Commission's scribe as well as own scribe will not be more than the minimum qualification criteria of the examination. However, the qualification of the scribe should always be matriculate or above.

(iv) The Persons with Benchmark Disabilities in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy will be allowed Compensatory Time of twenty minutes per hour of the examination. In case of other categories of Persons with Benchmark Disabilities, this facility will be provided on production of a certificate to the effect that the person concerned has physical limitation to write from the Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per proforma at Annexure-I.

Further, for persons with specified disabilities covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing will be provided compensatory time subject to production of a certificate to the effect that person concerned has limitation to write from the competent medical authority of a Government healthcare institution as per proforma at Annexure-III.

Note (1) : The eligibility conditions of a scribe and the conduct of scribe inside the examination hall and the manner in which and extent to which the scribe can help the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate in writing the Combined SOs/Stenos (Gr.B/Gr.I) LDCE shall be governed by the instructions issued by the UPSC in this regard. Violation of all or any of the said instructions shall entail the cancellation of the candidature of the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidate in addition to any other action that the UPSC may take against the scribe.

Note (2) : The criteria for determining the percentage of visual impairment shall be as follows :—

Better eye Best Corrected	Worse eye Best Corrected	Per Cent Impairment	Disability category
1	2	3	4
6/6 to 6/18	6/6 to 6/18	0%	0
	6/24 to 6/60	10%	0
	Less than 6/60 to 3/60	20%	I
	Less than 3/60 No Light Perception	30%	II (One eyed person)
6/24 to 6/60 Or Visual field less than 40 up to 20 degree around centre of fixation or heminaopia involving macula	6/24 to 6/60	40%	III a (low vision)
	Less than 6/60 to 3/60	50%	III b (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	60%	III c (low vision)
Less than 6/60 to 3/60 Or Visual field less than 20 up to 10 degree around centre of fixation	Less than 6/60 to 3/60	70%	III d (low vision)
	Less than 3/60 to No Light Perception	80%	III e (low vision)
Less than 3/60 to 1/60 Or Visual field less than 10 degree around centre of fixation	Less than 3/60 to No Light Perception	90%	IV a (Blindness)
Only HMCF Only Light Perception, No Light perception	Only HMCF Only Light Perception, No Light perception	100%	IV b (Blindness)

Note (3) : The concession admissible to blind candidates shall not be admissible to those suffering from Myopia.

8. Appearance of candidates in all the three papers is a must for qualifying in the examination. The **Commission** has the discretion to fix minimum qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

9. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

10. Deduction upto 5% of the maximum marks in the written subject will be made for illegible handwriting.

11. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in the subjective paper.

12. Candidates should use only international form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc.) while answering Paper - III.

Annexure-I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate with benchmark disability), a person with ..... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ....., a resident of ..... (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/
Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.

Note : Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopedic specialist/PMR).

Annexure-II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe
(To be filled by the candidates online to the Commission)

I ....., a candidate with ..... (name of the disability) appearing for the ..... (name of the examination) .....bearing Roll No at ..... (name of the centre) in the District ..... (name of the State). My qualification is .....

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place :
Date :

Annexure-III

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs..... (name of the candidate), S/o / D/o ....., a resident of ..... (Vill/PO/PS/District/State), aged.....yrs, a person with ..... (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination, with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto ..... (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/PMR Specialist	Clinical phychologist/ Rehabilitation Psychologist / Psychiatrist / Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Chief District Medical Officer ..... Chairperson				

Name of Government Hospital / Health Care Centre with seal

Place :

Date :

Annexure-IV

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I....., a candidate with ..... (nature of disability/condition) appearing for the ..... (name of the examination) bearing Roll No..... at ..... (name of the centre) in the District ....., ... (name of the state). My educational qualification is .....

2. I do hereby state that ..... (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is ..... In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forefeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place :

Date :

Annexure-V

Undertaking

This is to certify that I, Shri/Mrs/Ms. _____ working in Ministry/Department of _____and my name figures in the SSA Grade at S.No._____ of the Select List Year 2003 and 2003 (Extended) notified by Dept. of Personnel and Training vide O.M. No. 20/53/2008 CS.11(B) Vol.II dated 16.12.2011 and O.M. No. 12/5/2015-CS.II dated 02.11.2015. I understand that the issue of seniority of SSAs of 2003 (Extended) is under challenge in WP Nos. 8616/2019 and 8454/2019 in the Hon'ble High court of Delhi, where the Hon'ble Delhi High Court has directed to maintain status quo as granted by the Ld. CAT regarding non-alteration of the position of the petitioners as on date (23.12.2015). As per the above direction, the position of the SSAs belonging to SL-2003 (Extended) notified on 02.11.2015 is required to be maintained as on 23.12.2015. As the Hon'ble High Court of Delhi has not yet delivered its final judgement on the issue raised by the applicants in OA No. 4700/2015 and 639/2016, preparation of Select List of ASO Grade for 2013 onwards are pending.

2. I do understand that pending finalisation of Select List of ASOs for 2013 onwards, the SO/Steno Limited Departmental Competition Examination for 2018 onwards has been held up. I do further understand that consequent upon representation from a large number of ASOs including those working as ad-hoc ASOs after promotion from SSA grade, the Government despite the above-mentioned litigations, has decided to conduct the LDCE for SO for 2018 by allowing all the SSAs belonging to Select List 2003 and Select List 2003 (Extended) to appear the SO/PS LDCE 2018 purely on provisional basis subject to the following conditions:

(i)That Appearing in the examination shall not confer any right on the candidates to consider his/her eligibility/selection in the examination till finalization of Common Seniority List of SSA Grade for SL-2003 (Extended) and subsequently the Select list of ASO Grade for 2013 onwards based on the final decision on the pending WPs mentioned in para-1 above and also in any other court case filed subsequently after final disposal of the WP by Delhi High Court.

(ii) That final results of the examination(s) conducted by UPSC shall be declared subject to determination of final eligibility to appear in the examination after finalization of the select list of ASOs for 2013, which will be finalized after the outcome of the decision on the above WPs.

(iii) That after the final outcome on the above-mentioned WPs the Select List of ASO Grade for 2013 under seniority quota will be prepared and accordingly the officials who would have figured in the ASO SL-2013 and qualified SO/PS LDCE for 2018, their selection would be considered as valid.

(iv) That the declaration of the results of the SO/PS LDCE for 2018 are also subject to final outcome of the SLP No. 30621/2011 and 31288/2017 pending before the Hon'ble Supreme Court of India regarding "reservation in promotion" and "own merit issue".

3. Having gone the above facts and understanding the conditions under which I am being allowed to appear in the SO/PS LDCE for 2018, I do hereby agree that my candidature for the SO LDCE 2018 is purely provisional and undertake to abide by all the above conditions.

Signature
Name(in block letter)_____
Designation_____
Min./Dept._____
Mob No._____

SCHEDULE

Syllabi for examination

WHERE KHOWLEDGE OF THE RULES, ORDERS, INSTRUCTIONS ETC. IS REQUIRED, CANDIDATES WILL BE EXPECTED TO BE CONVERSANT WITH AMENDMENTS ISSUED UP TO THE DATE OF NOTIFICATION OF THIS EXAMINATION.

PAPER – I

The paper will cover subjects of interest and importance in the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad salient features of the Five Year Plans, Indian Economy and major Developmental Schemes as also intelligence awareness of current affairs both national and international.

A broad knowledge of the following aspects will also be expected :

i. The principles of the Constitution of India
ii. Rules of procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and Rajya Sabha
iii. The organization of the machinery of the Govt. of India, Designation and allocation of subjects between Ministries, Departments and Attached & Subordinate Offices and their relation inter se.
iv. RTI Act, 2005.

PAPER - II

This paper is intended to be intensive and detailed test in methods and procedure of work in the Government of India Secretariat and attached offices. Detailed knowledge of General Financial and Service Rules viz., Conduct Rules, Leave Rules, TA Rules etc. will be tested. A list of Reference Books (which are however not exhaustive) are recommended -

(for Category I, IV,VIII, IX & XI)

1. Manual of office procedure (latest edition)
2. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management.
3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs. (for Category I & IV only)
4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).
5. The Central Civil Services (Pension) Rules.
6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.
7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.
8. Central Civil Service (Leave) Rules.
9. Compilation of the General Financial Rules, (Revised and Enlarged).
10. Delegation of Financial Power Rules.
11. Intelligence Bureau Standing Orders (for Category VIII only).

(for Category II & V)

1. Manual of office procedure (latest edition).
2. Notes on office procedure issued by the I.S.T.M.

3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Min. of Home Affairs.

4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P. & T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).

5. The Central Civil Services (Pension) Rules.

6. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.

7. Compilation of the General Financial Rules (Revised and enlarged).

8. Delegation of Financial Power Rules.

9. Indian Foreign Service (PLCA) Rules.

10. Financial Powers of Government of India's Representatives abroad.

11. Assisted Medical Attendance Schemes.

12. Indian Foreign Service (Conduct and Discipline) rules.

(for Category III & VII)

1. Manual of Office Procedure issued by the Min. of Railways (Railway Board).

2. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Min. of Home Affairs.

3. Indian Railway Admn. and Finance (excluding Chapters V, VI, VIII & IX).

4. Indian Railway Financial Code Vol. I (excluding Chapter II and VI).

5. Indian Railway Establishment Code Vol. I.

6. The Railway Services (Conduct) Rules, 1966.

7. The Railway Servants (Discipline and Appeal) Rule, 1968.

(for Category VI & X)

1. Manual of office procedure (latest edition).

2. Notes on office procedure issued by the Institute of Secretarial Training and Management.

3. Handbook of orders regarding use of Hindi for official purpose of the Union issued by the Ministry of Home Affairs.

4. Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P.&T's compilation, Chaudhury's compilation, Swamy's compilation).

5. The Central Civil Services (Pension) Rules.

6. The Central Civil Services (Conduct) Rules.

7. The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules.

8. Central Civil Service (Leave) Rules.

9. Financial Regulations Part I (Revised Edition).

PAPER – III

Candidates are required to prepare notes and drafts on specific problems and précis from a passage.

*****

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 09 नवम्बर, 2022

नियम

सं. 6/2/2022 सीएस I (पी) खण्ड-I - निम्नलिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-'I') हेतु चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2018 के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड 'ख'/ग्रेड-I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की सहमति से सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ग I

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग II

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग III

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IV

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग V

भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का निजी सचिव ग्रेड

वर्ग VI

सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का विलयित ग्रेड 'क' तथा 'ख'

वर्ग VII

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ख'

वर्ग VIII

आसूचना ब्यूरो का अनुभाग अधिकारी ग्रेड

वर्ग IX

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निजी सचिव ग्रेड

वर्ग X

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में अनुभाग अधिकारी

वर्ग XI

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सहायक निदेशक/ अनुभाग अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड-I

1. प्रत्येक ग्रेड/सेवा हेतु चयन सूची में शामिल करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के तहत उम्मीदवारों का अंतिम चयन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2016/2019-स्था.(आर.) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 2022 की 629 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन किया जाएगा तथा परिणाम घोषित किया जाएगा। श्रेणी III (अर्थात् रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का अनुभाग अधिकारी ग्रेड) के संबंध में सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वरीयता सूची को चुनौती दी गई है।वर्ष 2018 के लिए, श्रेणी-III का परिणाम माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष लंबित न्यायालयी मामलों (ओ.ए संख्या 114/2022) के निर्णय तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वरीयता सूची में संशोधन, यदि कोई हो, के अध्यधीन अनन्तिम होगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। परीक्षा की तारीख और स्थान का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा।

3. नीचे कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड और सेवाओं के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो पात्रता की निर्णायक तिथि (जैसाकि नीचे उल्लिखित है) को कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा की अवधि और शैक्षिक योग्यता, आदि से संबंधित शर्तें पूरी करते हैं, कॉलम 3 में उल्लिखित सेवा के वर्ग के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

<u>पात्रता निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि</u>

1 जुलाई, 2018 2018 की परीक्षा के लिए

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3
केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड 'ग')	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के वैयक्तिक सहायक के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष हो। एकबारगी विशेष अनुमति के रूप में, चयन सूची 2003 (विस्तारित) के ऐसे सभी वरिष्ठ सचिवालय सहायक जिनके पास अपेक्षित 4 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें (एसएसए/एएसओ ग्रेड में) हैं, भी अनुबंध-V के अनुसार परिवचन प्रस्तुत करने के अध्यधीन परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं।	**वर्ग I**
भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' का सामान्य संवर्ग का सहायक ग्रेड, आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड और साईफर उप संवर्ग का सहायक साईफर ग्रेड	सामान्य संवर्ग के सहायक ग्रेड/ साईफर संवर्ग के सहायक साईफर ग्रेड/ आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में पांच वर्ष से कम की अनुमोदित सेवा न हो तथा कम से कम चार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हों। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री होनी चाहिए तथा ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किया होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	**वर्ग II**
रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा का सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'/ वैयक्तिक सहायक ग्रेड ।	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग'/ वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अथवा दोनों में, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग III**

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का वैयक्तिक सहायक	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त हो।	**वर्ग** IV
भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के आशुलिपिक संवर्ग का वैयक्तिक सहायक ग्रेड	आशुलिपिक संवर्ग के वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित सेवा 5 वर्ष से कम न हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण किया होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित हों।	**वर्ग** V
सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग** VI
रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा का ग्रेड 'ग'	रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-II/ग्रेड 'ग' में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग** VII
आसूचना ब्यूरो का सहायक ग्रेड/आसूचना ब्यूरो का आशुलिपिक सेवा ग्रेड -II	प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर अथवा एलडीसीई आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, ग्रेडों में नियुक्त अधिकारियों के मामले में आसूचना ब्यूरो में स्थायी या नियमित नियुक्त अस्थायी सहायक/आशुलिपिक ग्रेड-II (वैयक्तिक सहायक) जिनकी अनुमोदित तथा लगातार सेवा 4 वर्ष से कम न हो बशर्ते उस वर्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी एलडीसीई परीक्षा का आयोजन हुआ हो 1 जुलाई से 5 वर्ष पूर्व न हुआ हो अथवा उस वर्ष जिसमें अनुभाग अधिकारी ग्रेड एलडीसीई आयोजित हुआ हो की 1 जुलाई को अपने संबद्ध फीडर ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों के मामले में अनुमोदित तथा	**वर्ग** VIII

	लगातार सेवा 5 वर्ष से कम न हों, परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक	कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वैयक्तिक सहायक ग्रेड में अनुमोदित तथा लगातार सेवा 3 वर्ष से कम न हो।	**वर्ग IX**
सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायक अनुभाग अधिकारी	सशस्त्र बल मुख्यालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 05 वर्ष से कम अनुमोदित एवं निरंतर सेवा न हो।	**वर्ग X**
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड-II/ अधीक्षक ग्रेड के कर्मचारी	ग्रेड वेतन 4600/- रूपये सहित वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रूपये सहित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ प्रबंधक ग्रेड-II/ अधीक्षक ग्रेड के कर्मचारी	**वर्ग XI**

किन्तु शर्त यह है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणामों के आधार पर यदि कोई उम्मीदवार (वर्ग I, वर्ग II, वर्ग IV, वर्ग V में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवार को छोड़कर) उपरोक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों में नियुक्त किया गया है, तो ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 5 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख तक कम से कम 4 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा कर ली है।

बशर्ते कि परीक्षा की श्रेणी-IV और श्रेणी-IX के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने वाला यदि कोई उम्मीदवार, किसी प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा शामिल है, के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेड में नियुक्त हो जाता है, ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से कम से कम 3 वर्ष पहले हो गई हो और उस ग्रेड में उसने निर्णायक तारीख की स्थिति के अनुसार, कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा निरंतर सेवा कर ली हो।

टिप्पणी 1. ऊपर के कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों और सेवाओं के वे स्थायी अथवा नियमित रूप में नियुक्त अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियत अवधि के लिए संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, यदि अन्यथा पात्र हों, तो इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र होंगे और प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई सेवा, कॉलम 2 में उल्लिखित सेवा अवधि के लिए अर्हक होगी।

तथापि यह कॉलम 1 में उल्लिखित ग्रेडों तथा सेवाओं के उन अधिकारियों पर लागू नहीं होता है जिन्हें उनके सम्बंधित ग्रेड में संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में "स्थानान्तरण" पर

कॉलम 1 में संदर्भित अपने संबंधित ग्रेडों तथा सेवाओं में नियुक्त किया गया हो (चाहे वे कोई धारणाधिकार (लियन) रखते हों या नहीं रखते हों)।

टिप्पणी 2 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जिन्होंने भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में नियुक्ति के लिए विकल्प दिया हो और ऐसे विकल्प के अनुसरण में उस सेवा के किसी ग्रेड में नियुक्त कर लिए गए हों, वे वर्ग-I और वर्ग-IV के लिए परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 3 केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में प्रतिनियुक्ति पर हैं वे वर्ग-II और वर्ग-V के लिए परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 4- वर्ग-I के संबंध में, चयन सूची 2003 (विस्तारित) के वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के मामले में 05 वर्ष की अनुमोदित सेवा के प्रावधान, जिसमें 4 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें (एसएसए/एएसओ ग्रेड में) होनी अपेक्षित हैं, परीक्षा में शामिल होने के लिए, अनुबंध-III के अनुसार परिवचन प्रस्तुत करने के अध्यधीन छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा, छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है;

i.चयन सूची-2003 (विस्तारित) हेतु वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड की सामान्य वरीयता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक तथा तत्पश्चात् लंबित रिट याचिकाओं पर अंतिम निर्णय के आधार पर 2013 से आगे के वर्षों के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के अंतिम निपटान के उपरांत दाखिल किसी अन्य न्यायालयी मामले के आधार पर भी, परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को परीक्षा में उनकी पात्रता/ चयन के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

ii. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा(ओं) के अंतिम परिणाम की घोषणा, वर्ष 2013 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात की जाएगी, जो कि परीक्षा में शामिल होने की पात्रता के अंतिम निर्धारण के अध्यधीन होगी, जिसका निर्धारण लंबित रिट याचिकाओं पर दिए गए निर्णय के परिणाम के बाद किया जाएगा।

iii.यह कि, लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के उपरांत वरीयता कोटा के तहत वर्ष 2013 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची तैयार की जाएगी और तद्नुसार, जिन

अधिकारियों के नाम सहायक अनुभाग अधिकारी चयन सूची-2013 में होंगे और जिन्होंने वर्ष 2018 की अनुभाग अधिकारी/ पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके चयन को वैध माना जाएगा।

iv. अनुभाग अधिकारी/पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018 के परिणाम की घोषणा, 'पदोन्नति में आरक्षण' तथा अपनी योग्यता मामले के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी संख्या 30621/2011 तथा 31288/2017 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन भी है।

4. जो उम्मीदवार दोनों वर्गो के लिए प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का पात्र है तथा वह इस विकल्प का इस्तेमाल करता है तब उसे अपने आवेदन में उस वर्ग के वरीयताक्रम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए वह पात्र है और विचार किए जाने का इच्छुक है। आयोग, आवेदक द्वारा पहले से प्रस्तुत वरीयता में किसी प्रकार का परिवर्तन/जोड़/बदलाव करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवार वर्ग संख्या का चयन सावधानी से करें क्योंकि संशोधन/गलत संयोजन पर विचार नहीं किया जाएगा/अनुमति नहीं होगी और उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। यह भी ध्यान दें कि किसी भी उम्मीदवार का चयन किसी भी ऐसी श्रेणी के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से विकल्प नहीं चुना है।

5. किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

7. जो उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, नामशः
   (क) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
   (ख) दबाव डालना, या
   (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
(ii) प्रतिरूपण, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रुप से कार्य कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।

(vi) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, अथवा

(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, नामत:

(क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना; अथवा

(viii) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना या प्रयोग किया जाना; अथवा

(ix) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर भद्दी बातें या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री लिखना; अथवा

(x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाडना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(xi) परीक्षा आयोजन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(xii) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच इत्यादि जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(xiii) परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों में से किसी का भी उल्लंघन किया है; अथवा

(xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे :

(क) आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा जिसमें वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए-

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से विवर्जित किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया जाए।

7.1 कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

8. (i) परीक्षा के उपरांत, उम्मीदवारों पर,संबंधित वर्ष हेतु उनकी पात्रता के अध्यधीन वर्ष 2018 की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा और आयोग द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा के प्रत्येक पेपर/भाग हेतु अर्हक मानकों के अध्यधीन प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम तौर पर दिए गए कुल अंकों के माध्यम से यथानिर्धारित योग्यता क्रम में आयोग द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2018 के लिए श्रेणी I का परिणाम सम्यक अनुक्रम में घोषित किया जाएगा जो कि सहायक अनुभाग अधिकारी चयन सूची (एसक्यू) 2013 को अंतिम रूप दिए जाने के अध्यधीन होगा।

संबंधित चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए वर्षवार और श्रेणीवार योग्यताक्रम (मेरिट) की सूचियां, रिक्तियों का योग्यताक्रम (मेरिट) संख्या, उम्मीदवार की मेरिट तथा उम्मीदवार द्वारा दर्शाये गए विकल्प (पात्रता के अनुसार, वर्ष और वर्ग की वरीयता) तथा अन्य सभी पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने के आधार पर होगी। आयोग के पास परीक्षा के किसी या सभी स्तर (स्तरों) या पेपर (पेपरों) के लिए न्यूनतम अर्हक मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार है।

जहां उम्मीदवार कुल योग्यताक्रम (मेरिट)/अंकों के आधार पर एक से अधिक वर्ग तथा/या विचार वर्ष (कंसीड्रेशन) में अन्यथा पात्र हों, विशिष्ट चयन सूची में उन्हें शामिल किया जाना उपयुक्त समय पर उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर उपलब्ध वर्ग-वर्ष पर निर्भर करेगा। अत:, उसके योग्यताक्रम के आधार पर, तथा रिक्ति तथा पात्रता की अन्य शर्तों के अध्यधीन उम्मीदवार की वरीयता को ध्यान में रखते हुए उसे उपयुक्त चयन सूची (वर्ग और वर्ष) में रखा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का नाम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए, विशिष्ट वर्ष हेतु चयन सूची में शामिल किया जाता है, तो अन्य सूची (सूचियों) में शामिल करते हेतु उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण वर्ष (2018) में वर्ग I, III, IV, VII, VIII तथा IX के लिए जिन रिक्तियों को भरा नहीं जा सका उनको अगले रिक्ति वर्ष हेतु अग्रेनीत किया जाएगा। यह प्रावधान वर्ग VI & X पर लागू नहीं होगा। वर्ग II एवं V की परीक्षा

में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के मामले में उपयुक्त/योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 2018 में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित उन रिक्तियों, जिन्हें भरा नहीं जा सका हो, को अगली परीक्षा के लिए अग्रेनीत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक श्रेणी की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित, उम्मीदवारों के अंतिम चयन का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.04.2022 के कार्यालय ज्ञापन 36012/16/2019-स्था.(आर.) के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न सिविल अपील संख्या 629/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन किया जाएगा।

नोट:- उम्मीदवारों को यह स्पष्ट रुप से समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, न कि अर्हक परीक्षा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियत करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्षम है। अत: कोई भी उम्मीदवार इस परीक्षा में अपने निष्पादन के आधार पर चयन सूची में शामिल किए जाने के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।

9. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणाम की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा। आयोग परीक्षा परिणाम के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

10. परीक्षा में उत्तीर्ण होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में कार्य संचालन की दृष्टि से चयन के लिए हर प्रकार से पात्र और योग्य है:

बशर्ते आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किए गए किसी उम्मीदवार को चयन के लिए अपात्र मानने के बारे में निर्णय आयोग के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

11. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा किसी और कारण से सेवा छोड़ देता है अथवा उससे संबन्ध-विच्छेद कर लेता है, अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा उसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और केन्द्रीय सचिवालय सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा/ सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा /आसूचना ब्यूरो/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-ग/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/आसूचना ब्यूरो आशुलिपिक सेवा ग्रेड -II/ सशस्त्र सेना

मुख्यालय आशुलिपिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' में किसी पद पर उसका अपना धारणाधिकार (लियन) नहीं है तो वो इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

हालांकि, यह बात उस व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होती जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर दिया गया है।

[फा.सं.06/02/2022-सीएस-I (पी)- खण्ड 1]

(रजत कुमार)
संयुक्त सचिव,भारत सरकार

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :-

भाग1

(क) नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में अधिकतम 500 अंकों की लिखित परीक्षा।

(ख) हिन्दी या अंग्रेजी में 100 शब्द प्रति मिनट की एक अर्हक आशुलिपि परीक्षा।

टिप्पणी I - वर्ग IV,V VI,VII और IX हेतु प्रतियोगिता में सम्मिलित होने वाले सभी उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित समय पर अर्हक आशुलिपि परीक्षा देना होगा। तथापि, केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सेवा रिकार्ड का मूल्यांकन किया जाएगा जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के साथ-साथ आशुलिपिक परीक्षा में भी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं।

टिप्पणी II - उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा केन्द्र पर मुहैया कराए गए कम्प्यूटरों (पीसी) पर अपनी आशुलिपि टिप्पणियों का लिप्यंतरण करना होगा।

भाग II

उम्मीदवारों के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अधिकतम अंक 100 होंगे:-

(i) जिन्होंने लिखित परीक्षा में, आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग I,II,III और VIII श्रेणियों के लिए) और

(ii) जिन्होंने लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेक से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं (वर्ग IV,V,VI,VII और IX श्रेणियों के लिए)।

टिप्पणी I: सेवा अभिलेख (अर्थात बैठक के दौरान मूल्यांकन बोर्ड को प्राप्त हुई अधिकारियों की एपीएआर) के मूल्यांकन में अर्जित अंकों की गणना रैंक निर्धारण हेतु की जाएगी। मूल्यांकन बोर्ड द्वारा एपीएआर का एक बार मूल्यांकन कर लिए जाने के उपरांत, बाद की तिथि, एपीएआर ग्रेडिंग आदि में किसी परिवर्तन सहित किसी भी परिस्थिति में इसके पुनः मूल्यांकन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा

टिप्पणी II: सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में न्यूनतम 40% (चालीस प्रतिशत) अंक होने चाहिए। इसलिए, सेवा अभिलेख के मूल्यांकन में 40% (चालीस प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम पर रैंक निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. सेवा के विभिन्न वर्गों के प्रतियोगी उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों की लिखित परीक्षा में बैठना होगा:-

पेपर संख्या	विषय	पेपर का प्रकार	अधिकतम अंक	अवधि
1.	सामान्य अध्ययन और भारत के संविधान और सरकारी तंत्र, संसद की परिपाटी और कार्य की सामान्य जानकारी तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
2.	भारत सरकार सचिवालय और संबध्द कार्यालयों में प्रक्रिया और परिपाटी तथा सेवाओं की संगत श्रेणियों की आवश्कता को विधिवत ध्यान में रखते हुए सामान्य वित्तीय एवं सेवा नियम	वस्तुनिष्ठ	150	2 घंटे
3.	टिप्पण एवं प्रारूपण, सार लेखन	विस्तृत	200	3 घंटे
	सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन		100	
	कुल अंक -		**600**	

3. <u>गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में)</u>

वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए गए गलत उत्तरों के लिए शास्ति (ऋणात्मक अंकन) लगाई जाएगी।

(i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए गलत उत्तर दिए जाने पर उस प्रश्न के लिए निर्दिष्ट अंको में से एक तिहाई अंको की कटौती की जाएगी।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न के एक से ज्यादा उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों मे से एक सही भी हो तथा उस प्रश्न के लिए भी उपर्युक्त शास्ति होगी ।

(iii) यदि किसी प्रश्न को खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

4. परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार होगा।

5. उम्मीदवारों को टिप्पण एवं प्रारूपण और सार लेखन का उत्तर हिंदी (देवनागरी) या अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। सभी तीनों प्रश्नपत्र / परीक्षा पुस्तिकाएं अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों में होंगी।

टिप्पणी 1:- टिप्पण एव प्रारूपण तथा सार लेखन पेपर के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने के विकल्प का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को अपनी इस इच्छा का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन के संगत कालम में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे उपर्युक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 2:- प्रश्न पत्र के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में लिखने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, हिन्दी की शब्दावली, के साथ तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय, यदि कोई हो, भी कोष्ठक में दे सकते है।

टिप्पणी 3:- यदि उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए माध्यम से इतर माध्यम का परीक्षा में उत्तर लिखने में प्रयोग किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

6. अंग्रेजी/हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट का श्रुतलेख शामिल है जिसे उम्मीदवारों को 40/55 मिनट में लिप्यंतरण करना होगा।

7. (i) उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दृष्टिहीन, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों भुजाएं प्रभावित - बीए) तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को स्क्राइब की सुविधा मांग किए जाने पर, प्रदान की जाएगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के अंतर्गत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगताओं की अन्य श्रेणियों वाले व्यक्तियों को अनुबंध-I पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित व्यक्ति लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अनिवार्य है, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को अनुबंध III में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, कि संबंधित व्यक्ति की लेखन क्षमता प्रभावित है तथा इनके परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब अनिवार्य है, प्रस्तुत करने के अध्यधीन, स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(ii) उम्मीदवार को अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने का विवेकाधिकार है। ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुबंध-II (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% या अधिक है) तथा अनुबंध-IV (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है एवं लिखने में कठिनाई होती है) के प्रोफॉर्मा के अनुसार स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण मांगा जाएगा।

(iii)आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब के साथ-साथ स्वयं के स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

(iv) दृष्टिहीन, लोकोमोटर अक्षमता (दोनों भुजाएं प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु बीस (20) मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को अनुबंध-I में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है,प्रस्तुत किए जाने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को अनुबंध-III पर दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य

संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र, कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में बाधा आती है, प्रस्तुत करने के अध्यधीन, प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

टिप्पणी (1): किसी स्क्राइब की पात्रता की शर्तें तथा परीक्षा हॉल के अंदर स्क्राइब का आचरण तथा वहसम्मिलित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड ख/ग्रेडI) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर लिखने में बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता/सकती है, इन सब बातों का नियमन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इन सभी या इन में से किसी एक अनुदेश का उल्लंघन होने पर संघ लोक सेवा आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ स्क्राइब के विरूद्ध अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

टिप्पणी (2): दृष्टि बाधा का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगेः-

बेहतर आंख और बेहतर करना	**खराब आंख उत्तम तरीके से ठीक करना**	**दिव्यांगता प्रतिशत**	**दिव्यांगता श्रेणी**
1	2	3	4
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से 3/60 तक से कम	20%	I
	3/60 से कमसे कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आंख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित हेमिनाओपिया	6/24 से 6/60	40%	IIIक (अल्प दृष्टि)
	6/60 से 3/60 तक से कम,	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों	6/60 से 3/60 तक से कम	70%	III घ (अल्प दृष्टि)

ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	80%	III ड. ग (अल्प दृष्टि)
3/60 से 1/60 तक से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन, कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

टिप्पणी (3): दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टि दोष से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी।

8. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों का सभी तीन पेपरों में सम्मिलित होना आवश्यक है। आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है।

9. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

10. लिखित विषयों में अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक अस्पष्ट लिखावट के लिए काट लिए जाएंगे।

11. परीक्षा के विषयपरक पेपर में क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और कम से कम शब्दों में की गई सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाएंगे।

12. उम्मीदवार को पेपर-III के उत्तर लिखते समय भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात1,2,3,4,5,6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए।

अनुबंध-I

परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक सीमा दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती..... (बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो ..... (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, पुत्र/पुत्री ....., निवासी ..... (ग्राम/जिला/राज्य) हैं की जांच की है, और यह कहना है कि इनकी दिव्यांगता के चलते शरीरिक क्षमता सीमित है, जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्था का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/

चिकित्सा अधीक्षक

नोटः प्रमाण-पत्र, संबंधित विषय/दिव्यांगता (उदाहरण दृष्टि बाधित - नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता - हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

अनुबंध-II

स्वयं के स्क्राइब का प्रयोग करने के लिए परिवचन का पत्र

(उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को प्रस्तुत किया जाए)

मैं ....., ... (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो ..... (परीक्षा का नाम) अनुक्रमांक संख्या ....., ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ....., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी योग्यता ..... है।

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की तरफ से ..... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता ..... है, यदि बाद में यह पाया जाता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः

अनुबंध-III

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती ..... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री ....., निवासी ..... (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु ..... वर्ष की जांच की है जो ..... (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों के और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक ..... तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्यूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ..... अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम मुहर सहित

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध-IV

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं ....., ... (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो ..... (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक संख्या ....., ... (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला ....., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता ..... है।

2. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से ..... (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता ..... है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक:

अनुबंध - V

परिवचन

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं, श्री/श्रीमती/सुश्री ..... मंत्रालय/विभाग ..... में कार्यरत हूं और मेरा नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा सं.20/53/2008 सीएस.11 (बी) खण्ड.II दिनांक 16.12.2011 और का.ज्ञा.सं.12/5/2015-सीएस.II दिनांक 02.11.2015 के तहत अधिसूचित वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड की चयन सूची वर्ष 2003 तथा 2003 (विस्तारित) में क्रम सं..... में उल्लखित है। मैं यह जानता/जानती हूं कि चयन सूची 2003 (विस्तारित) में वरिष्ठ सचिवालय सहायकों की वरीयता का मामला रिट याचिका सं.8616/2019 और 8454/2019 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.12.2015 की स्थिति के अनुसार याचिका-कर्ताओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं करने संबंधी माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को यथापूर्व स्थिति के अनुसार बनाए रखने का निदेश दिया है। उपरोक्त निदेश के अनुसार, दिनांक 02.11.2015 को अधिसूचित चयन सूची-2003 (विस्तारित) में आने वाले वरिष्ठ सचिवालय सहायकों की स्थिति दिनांक 23.12.2015 को भी समान बनाए रखनी अपेक्षित है। चूंकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवेदकों द्वारा दर्ज ओए सं.4700/2015 और 639/2016 द्वारा उठाए गए मामले में अपना अंतिम निर्णय अभी नहीं दिया है, इसलिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 2013 से आगे की चयन सूची तैयार नहीं की गई है।

2. मैं यह समझता हूं कि सहायक अनुभाग अधिकारियों की वर्ष 2013 के बाद की चयन सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः 2018 के बाद से अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी रुक गया है। मैं यह भी समझता हूं कि काफी संख्या में सहायक अनुभाग अधिकारियों, वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड से पदोन्नत होकर तदर्थ आधार पर कार्यरत सहायक अनुभाग अधिकारियों सहित, से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, सरकार ने, उपरोक्त मुकदमों के बावजूद चयन सूची, 2003 और चयन सूची, 2003 (विस्तारित) के सभी वरिष्ठ सचिवालय सहायकों को पूर्णतया आधार पर अनुभाग अधिकारी/पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करते हुए 2018के लिए अनुभाग अधिकारी हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

i.चयन सूची-2003 (विस्तारित) हेतु वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड की सामान्य वरीयता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक तथा तत्पश्चात उपर्युक्त पैरा-1 में लंबित रिट याचिकाओं पर

अंतिम निर्णय के आधार पर 2013 से आगे के वर्षों के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के अंतिम निपटान के उपरांत दाखिल किसी अन्य न्यायालयी मामले के आधार पर भी, परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को परीक्षा में उनकी पात्रता/ चयन के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

ii. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा (ओं) के अंतिम परिणाम की घोषणा, वर्ष 2013 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात परीक्षा में उनके प्रवेश की अंतिम रूप से पात्रता का निर्धारण होने के पश्चात की जाएगी, जो लंबित रिट याचिकाओं पर दिए गए निर्णय के परिणाम के बाद किया जाएगा।

iii. यह कि, उपर्युक्त लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के उपरांत वर्ष 2013 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची वरीयता कोटा के तहत तैयार की जाएगी और तद्नुसार, जिन अधिकारियों के नाम सहायक अनुभाग अधिकारी चयन सूची-2013 में होंगे और जो वर्ष 2018 की अनुभाग अधिकारी/ पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में अर्हक होंगे, उनके चयन को मान्य माना जाएगा।

iv. अनुभाग अधिकारी/पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2018 के परिणाम की घोषणा, 'पदोन्नति में आरक्षण' तथा "अपनी योग्यता मामले" के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित एसएलपी संख्या 30261/2011 तथा 31288/2017 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन भी है।

3. उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने तथा उन शर्तों को समझने पर जिनके तहत मुझे अनुभाग अधिकारी/पीएस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2018 में प्रवेश लेने की अनुमति दी जा रही है, मैं एतद्द्वारा यह स्वीकार करता हूं कि 2018 के लिए मेरी उम्मीदवारी पूर्णतया अस्थायी है और उपरोक्त सभी शर्तों को मानने का वचन देता/देती हूं।

हस्ताक्षर

नाम (बड़े अक्षरों में)_____

पदनाम_____

मंत्रालय/विभाग_____

मोबाइल नंबर_____

अनुसूची

परीक्षा का पाठयक्रम

जहां नियमों, आदशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है, उम्मीदवारों से यह आशा की जाएगी कि वे इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख तक जारी किए गए संशोधनों की जानकारी रखें।

पेपर-I

पेपर में समसामयिक सरोकार और महत्व के विषय शामिल किए जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं, भारतीय अर्थ-व्यवस्था और प्रमुख विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की मौजूदा घटनाओं के प्रति बौद्धिक जागरूकता के परीक्षण से संबंधित प्रश्न भी होंगे।

निम्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी की भी अपेक्षा की जाती है:

(i) भारतीय संविधान के सिद्धांत

(ii) लोक सभा और राज्य सभा की प्रक्रिया और कार्यवाही के नियम।

(iii) भारत सरकार के तंत्र का संगठन, मंत्रालयों विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पदनामों और विषयों का आबंटन तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध।

(iv) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पेपर-II

इस पेपर का उद्देश्य है भारत के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में कार्यविधि तथा कार्य प्रणाली का गहन तथा विस्तृत परीक्षण लेना। सामान्य वित्तीय और सेवा नियमावली अर्थात् आचरण नियमावली, अवकाश नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली आदि के विस्तृत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। संदर्भ पुस्तिकाओं की सूची (तथापि जो संपूर्ण नहीं है) की अनुशंसा की जाती है:

(वर्ग I,IV, VIII,IX और XI के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रंबधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।

3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका (केवल वर्ग I और IV के लिए)
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली
9. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली
10. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली
11. आसूचना ब्यूरो स्थायी आदेश (केवल वर्ग VIII के लिए)

(वर्ग II और V के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
4. मूल तथा अनुरूपक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
7. सामान्य वित्तीय नियम संकलन (संशोधित तथा बृहत) नियमावली
8. वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन नियमावली
9. भारतीय विदेश सेवा (पी एल सी ए) नियमावली
10. भारत सरकार के विदेश स्थित प्रतिनिधियों के वित्तीय अधिकार
11. सहयोग प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना।
12. भारतीय विदेश सेवा (आचरण एवं अनुशासन) नियमावली

(वर्ग III और VII के लिए)

1. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा जारी कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका
2. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
3. भारतीय रेल प्रशासन तथा वित्त (अध्याय V,VI,VIII तथा IX को छोड़कर)
4. भारतीय रेल वित्तीय कोड खंड I (अध्याय II तथा VI को छोड़कर)
5. भारतीय रेल स्थापना कोड खंड-I
6. रेल सेवा (आचरण) नियमावली, 1966
7. रेल कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1968

(वर्ग VI और X के लिए)

1. कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (नया संस्करण)
2. कार्यालय पद्धति पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रंबधन संस्थान द्वारा जारी की गई टिप्पणियां।
3. संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग से संबधित गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आदेशों की पुस्तिका
4. मूल तथा अनुपूरक नियम (ए.जी.पी. एण्ड टी. संकलन, चौधरी संकलन, स्वामी संकलन)
5. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली
6. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली
7. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली
8. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली
9. वित्तीय विनियम भाग-I (संशोधित संस्करण)

<u>पेपर-III</u>

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशिष्ट समस्याओं पर टिप्पण और प्रारुपण तथा अवतरण से संक्षेपण तैयार करें।